दिनांक 10.02.2015 को जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न जिलास्तरीय समन्वय समिति, अररिया की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन

दिनांक–10.02.2015 को नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न जिलास्तरीय समन्वय बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन

कमांक	कार्यवाही	अनुपालन
01	समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाः–प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायत सचिवों के पास अगर अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित है और उनके द्वारा पूरी राशि/अभिश्रव जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे पंचायत सचिव के विरूद्ध सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही अग्रिम राशि का समायोजन के उपरान्त उसे रोकड़बही में घटाना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की संलिप्तता मानते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अगली सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के पूर्व को निम्नांकित निदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया :– (1) श्रेणीवार/ घटकवार फोटोयुक्त पेंशनधारियों का अलग–अलग पंजी तैयार करेंगे और लाभुकों का सत्यापन काराकर मृत/फर्जी/द्वितीयक पाये जाने पर उसे रद्द करेंगे तथा नये जितने भी पेंशनधारियों की स्वीकृति प्राप्त हुआ है, उसे जोड़ कर पेंशन पंजी को अद्यतन भी कराना सुनिश्चित करेंगे और भविष्य में एक भी गलत पेंशन भुगतान का मामला प्रकाशित होने की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जिम्मेवार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। (2) मृत पेंशन भोगियों के बारे में पंचायत सचिव से मृत पेंशनधारी का मृत्यु प्रमाण– पत्र प्राप्त कर पेंशन पंजी में मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करायेंगे। (3) सभी पेंशनधारियों का अगली पेंशन भुगतान के पूर्व बैंक खाता खोलायेंगे। साथ ही अगली बैठक में घटकवार कितने पेंशनधारियों को कितना खाता खोला गया है, उसका प्रतिवेदन साथ में लायेंगे। साथ ही प्रयास करेंगे की अगली पेंशन भुगतान के पूर्व शतप्रतिशत पेंशनधारियों का खाता खुल जाए और जितने पेंशनधारियों का बैक में खाता खुल जाएगा, बैंक खाता के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान होगा तथा जिनका खाता नहीं खुल पायेगा वैसे लाभुकों को शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान होगा। (4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में अद्यतन कितनी राशि	मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा ने अपने पत्रांक– 387, दिनांक–23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया है किः– 1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाः– पंचायत सचिव को दिये गये अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। 2 श्रेणीवार/ घटकवार पंजी तैयार कर अद्यतन कर लिया गया है। 3 पेंशनधारियों का खाता बैंक में खोला जा रहा है। 4 मृत्यु पेंशनभोगियों के बारे में पंचायत सचिव को पेंशन पंजी में मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न करने का आदेश दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज ने अपने ज्ञापांक– 241, दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :– 1 श्रेणीवार/ घटकवार फोटोयुक्त पेंशनधारियों का अलग–अलग पंजी तैयार कर पेंशन पंजी में पेंशन राशि का वितरण किया जाता है, तथा मृत पेंशन धारियों के नाम के सामने पंजी में मृत लिखकर पेंशन बंद कर दिया गया है। 2 इस कार्यालय का ज्ञापांक 315 दिनांक 31.02.2015 द्वारा सीभी पंचायत सचिव को निदेश दिया जा चुका है कि पेंशनधारियों का मृत्यु हो जाने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र का छायाप्रति उनके नामवाले पन्ना में छायाप्रति चिपका दें। 3 पेंशनधारियों का खाता खोलवाने हेतु सभी पंचायत सचिव को इस कार्यालय का ज्ञापांक 227 दिनांक 15.02.15 द्वारा निदेश दिया जा चुका है। 4 पेंशन मद में पंचायतवार एवं घटकवार पेंशनधारियों की संख्या एवं राशि का प्रतिवेदन भेज दिया गया है। 5 विभिन्न घटकों के लिए पेंशन पुस्तिका की माँग कर दिया गया है। आपूर्ति होने पंचायतवार वितरण कर दिया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी ने अपने ज्ञापांक– 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :– (1) पंचायत सचिव के पास अग्रिम लंबित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनधारियों को दिनांक 23.02.2015 से शिविर के माध्यम से पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है। वितरण के उपरान्त अभिश्रव नियमानुसार पारित कर रोकड़ पंजी में

	प्राप्त हुई, कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि अवशेष तथा पेंशनधारियों के वास्तविक संख्या के आलोक में अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2014 (तीन माह) के पेंशन वितरण हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है, उसका आकलन कर पेंशन मद में उपलब्ध कराये गये आबंटन से दिये गये अग्रिम राशि का समायोजन करते हुए उपलब्ध राशि घटाकर राशि की मांग करेंगे। (5) अगली पेंशन भुगतान के पूर्व आवश्यकतानुसार अधियाचना भेजते हुए पेंशन पुस्तिका प्राप्त कर लेंगे और सभी पेंशनधारियों के पास पेंशन पुस्तिका रहे, इसे सुनिश्चित करायेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज को निदेश दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा/ पर्यवेक्षण करेंगे और दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।	सुचारू रूप से संधारित किया गया है, एवं राशि प्राप्ति के पश्चात् अभिश्रव में अंकित लाभुकों का नाम रोकड़ पंजी में तिथिवार संधारित किया गया है। (2) श्रेणीवार एवं घटकवार फोटोयुक्त पेंशनधारियों का अलग-अलग पंजी संधारित कर दिया गया है। मृत लाभुक का सत्यापन पंचायत सचिव से किया गया है, एवं रद्द किया गया है। फर्जी पेंशनधारियों को कोटिवार/घटकवार पंजी संधारित कर अद्यतन कर लिया गया है। (3) मृत पेंशनधारियों का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पंजी में संलग्न किया जा रहा है। (4) पेंशनधारियों का खाता पेंशन भुगतान हेतु बैंक में खोला जा रहा है। (5) जिन लाभुकों का खाता बैंक में नही खोला गया है, उन्हें शिविर के माध्यम से पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। (6) सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में अद्यतन राशि व्यय की गई और पेंशन भुगतान हेतु माँग पत्र सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया से इस कार्यालय के पत्रांक 321 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा माँग किया गया है।
02	**शिक्षा :-** पूर्व बैठक में मध्याह्न भोजन योजना में जुर्माना के रूप में शिक्षकों से सामानुपातिक राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। साथ ही यदि संबंधित शिक्षकों द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि कुछ शिक्षकों द्वारा राशि जमा किया गया है। पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को जिन शिक्षकों द्वारा राशि जमा नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	**अनुपालन अप्राप्त है।**
03	**कृषि (डीजल अनुदान) :-** समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उपलब्ध कराये गये आबंटन कर वितरण कर दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को, जो भी राशि अवशेष है, उसे संबंधित शीर्ष में जमा कर प्रत्यार्पण राशि का ब्यौरा अंकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।	**मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387, दि0-23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि (डीजल अनुदान) शेष बचे राशि का प्रत्यार्पण कर दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241, दि0- 27.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डीजल अनुदान मद में प्राप्त आवंटन की निकासी एवं वितरण कर दिया गया है। शेष आवंटन का प्रत्यार्पण पत्रांक 1804 दिनांक 06.12.2014 द्वारा भेज दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु प्रखंड नाजीर मो0 निजामउद्दीन को कार्यालय ज्ञापांक 318 दिनांक 21.02.2015 द्वारा आदेश दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :-

		डीजल अनुदान में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रत्यार्पण राशि का ब्यौरा जिला आपदा प्रबंधन को कार्यालय में भेज दिया गया है।
04	**स्वास्थ्य :-** बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विकलांग प्रमाण-पत्र शिविर में चिकित्सक समय पर नहीं पहुँचते है, जिससे काफी परेशानी हेाती है। जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को निदेश दिया गया कि चालू शिविर के बाद पुनः विकलांगता प्रमाण-पत्र हेतु शिविर का कार्यक्रम निर्धारित करने का निदेश दिया गया, जिसमें प्रत्येक प्रखण्ड में दो-दो दिन शिविर आयोजित की जाएगी। शिविर में चिकित्सा पदाधिकारी समय पर पहुँचे इसे सिविल सर्जन सुनिश्चित करायेंगे।	**अनुपालन अप्राप्त है।**
05	**ग्रामीण कार्य विभाग :-** कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अररिया एवं फारबिसगंज को एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत निर्माणधीन योजनाओं को हर तरह से पूर्ण कराकर स्वास्थ्य विभाग/संबंधित विभाग को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ।	**अनुपालन अप्राप्त है।**
06	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-** (1) **निर्मल भारत अभियान :-** समीक्षा के कम्र में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने -अपने प्रखण्ड में एक गाँव का चुनाव कर कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 से सम्पर्क कर निर्मल भारत अभियान से सभी परिवार के पास शौचालय हो इसे सुनिश्चित करावे। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, अररिया को निदेश दिया गया कि सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित हल्दिया में जिन लोंगो द्वारा शौचालय निर्माण कराया जा चुका है, उन्हें तुरंत सहायता राशि भुगतान करें। (2) **मिनी वाटर सप्लाई योजना :-** मिनी वाटर सप्लाई योजना के लिए लक्ष्य के अनुरूप सभी प्रखण्डों द्वारा जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। फारबिसगंज प्रखण्ड से स्थान का चयनित किया गया है। परन्तु जमीन का खाता-खेसरा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसे तुरंत उपलब्ध कराने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज को दिया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, अररिया को आदर्श ग्राम हल्दिया में तुरंत मिनी वाटर सप्लाई योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।	**सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :- (1) निर्मल भारत अभियान- निर्मल भारत अभियान के तहत् सिकटी प्रखंड को प्राप्त 6,62,400.00 रू0 की राशि के विरूद्ध वितरण के उपरान्त मो0 6,29,634.00 रू0 सूद सहित सदस्य सचिव-सह-कार्यपालक अभियंता जिला जल एवं स्वच्छता समिति अररिया को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी गई है। (2) मिनी वाटर सप्लाई योजना - मिनी वाटर सप्लाई योजनान्तर्गत 03 (तीन) योजना का स्थल चयन कर लिया गया है। भूमि उपलब्ध है।
07	**सांख्यिकी :-** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि मासिक जन्म-मृत्यु प्रतिवेदन जनवरी, 2015 का जोकिहाट प्रखण्ड के 15, भरगामा प्रखण्ड के 21 तथा फारबिसगंज प्रखण्ड के मात्र एक पंचायत का प्राप्त है। शेष पंचायतों का जन्म-मृत्यु प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिसे तुरंत भेजने तथा भविष्य में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित रूप से मासिक जन्म-मृत्यु प्रतिवेदन	**मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मासिक जन्म-मृत्यु प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी पंचायत सचिवों को इस कार्यालय का पत्रांक 379 दिनांक 21.02.15 द्वारा प्रेषित की गई है।

	भेजने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही 31.12.2014 तक का जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र अररिया प्रखण्ड के 10, रानीगंज-26, नरपतगंज-18, फारबिसगंज-7, कुर्साकाँटा-13, सिकटी-5, पलासी-20 एवं जोकिहाट-20 पंचायत का अबतक अप्राप्त है, जिसे हर हाल में एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।	**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का कार्यालय ज्ञापांक 317 दिनांक 21.02.2015 द्वारा निदेश दिया गया है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतिवेदन समय पर प्रत्येक माह भेजें। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :- सिकटी प्रखंड अन्तर्गत कुल 14 पंचायत में से अबतक 13 पंचायत का जन्म मृत्यु का प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया को इस कार्यालय के पत्रांक 320 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा पत्र भेजा गया है।
08	**राष्ट्रीय सम विकास योजना :-** राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में अररिया, भरगामा, जोकिहाट एवं नरपतगंज प्रखण्ड में मछली शेड निर्माण योजना लेते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया था। बैठकों में बार-बार प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इन योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करने का निदेश देने के बावजूद सत्यापन प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगर योजना पूर्ण है तो अभिलेख की कार्रवाई बंद करते हुए अवशेष राशि लौटाये या अभिकर्त्ता के पास राशि अग्रिम पड़ा हुआ है तो अभिकर्त्ता पर राशि वसूली हेतु कार्रवाई करते प्रतिवेदित करें।	**मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना सहायक मो० निजामउद्दीन द्वारा बताया गया है मछली शेड निर्माण संबंधी कोई भी अभिलेख उनको प्रभार में नहीं मिला है इसलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन शुन्य है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :- सिकटी प्रखंड अन्तर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना से संबंधित योजना नही लिया गया है।
09	**वन :-** पूर्व बैठकों में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, अररिया को निदेश दिया गया था कि समाहरणालय का चहारदिवारी निर्माण के बाद उसके चारों ओर पेड़ लगायेंगे। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निदेश के अनुरूप अबतक पेड़ नहीं लगाया गया है, जिसपर खेद व्यक्त करते हुए पुनः यथाशीघ्र समाहरणालय के चारो ओर पेड़ लगाने का निदेश वन प्रमण्डल पदाधिकारी, अररिया को दिया गया।	**अनुपालन अप्राप्त है।**
10	**पशुपालन :-** वित्तीय वर्ष 2007-08 में पशुधन गणना कार्य कराया गया था, जिसके पशुगणकों के मानदेय मद में सभी प्रखण्डों को आबंटन उपलब्ध कराया गया था। समीक्षा के कम में पाया गया कि फारबिसगंज प्रखण्ड को छोड़कर शेष प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा विपत्र संख्या-125/10-11 से मो0-45,400.00 रु0, विपत्र सं0-126/10-11 से 27,700.00 रु0 129/10-11 से 14,500.00 एवं ए0सी0 विपत्र संख्या-130/10-11 से मो0-13,000.00 रु0 की निकासी की गई है, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया है, जिसे शीघ्र भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।	**मात्र कुर्साकाँटा, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387, दि0- 23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महालेखाकार, पटना में डी0सी0 विपत्र जमा करते हुए उसकी प्रति जिला नजारत एवं अपर समाहर्त्ता, अररिया के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :- वित्तीय वर्ष 2007-08 में पशुधन गणना कार्य हेतु आवंटन उपलब्ध है। वितरण की कार्रवाई की जा रही है।
11	**एम0एस0डी0पी0 :-** पूर्व बैठक में एम0एस0डी0पी0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना हेतु शिक्षा एवं	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387,

	स्वास्थ्य से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से योजना का प्रस्ताव पारित काराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया को भेजने का निदेश दिया गया था। फारबिसगंज, रानीगंज एवं पलासी प्रखण्ड से अनुपालन प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त, जिसे शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। एम0एस0डी0पी0 अन्तर्गत ली गई सिकटी प्रखण्ड में 7 आँगनबाड़ी केन्द्र में से 6 पूर्ण है तथा एक अपूर्ण है। पलासी प्रखण्ड में सभी 6 पूर्ण है। कुर्साकाँटा में सभी दो पूर्ण है। फारबिसगंज में 14 योजनाओं में सभी अधूरा है। जोकिहाट में 162 में से 78 पूर्ण है। पूर्व बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कार्यालय पत्रांक 2014 दिनांक– 02.11.2014 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उक्त पत्र में दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।	दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :– एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कुल 07 (सात) योजना ली गई है, जिसमें 06 (छः) योजना पूर्ण है, एवं पूर्ण योजना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिकटी को हस्तगत किया गया है। 01 (एक) योजना अपूर्ण है। अपूर्ण योजना का कार्य प्रगति पर है।
12	**गव्य विकास** :– पूर्व बैठक में जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अररिया को रानीगंज प्रखण्डान्तर्गत पहूँसरा पंचायत के ग्राम लालमोहन नगर के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर गव्य पालन हेतु बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाकर लाभान्वित करते हुए प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था, जिसका अबतक कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अररिया को दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	**अनुपालन अप्राप्त है।**
13	**बी0ए0डी0पी0 सर्वेक्षण** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज, फारबिसगंज, कुर्साकाँटा एवं सिकटी को बी0ए0डी0पी0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य योजना के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र और कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र अन्तर्गत चिन्हित् गाँवों की सूची उपलब्ध कराते हुए विद्युतीकरण, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं सोलर लाईट इत्यादि का प्रति प्रखण्ड 2.50 करोड़ का कार्य योजना चिन्हित् गाँवों में चयनित कर उसे पंचायत समिति से पारित कराते हुए भेजने का निदेश दिया गया। अबतक किसी भी प्रखण्ड से कार्य योजना प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 13.02.2015 की पूर्वाह्न तक हर हाल में सर्वेक्षण प्रतिवेदन सहित कार्य योजना भेजने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, अररिया को बी0ए0डी0पी0 अन्तर्गत स्वीकृत योजना में शीघ्र काम कराकर राशि व्यय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।	**मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी**, नरपतगंज ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बी0ए0डी0पी0 सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक– 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि बी0ए0डी0पी0 सर्वेक्षण अन्तर्गत तीन पंचायत 1. आमगाछी 2. बोकन्तरी 3. कुचाहा के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
14	**प्रधानमंत्री जन धन योजना** :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत वैसे व्यक्ति, जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेंशनधारियों का आवश्यक सहयोग देकर प्रधानमंत्री जन धन	**मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387 दि0– 23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

	योजनान्तर्गत खाता खोलवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम-2002 एवं नियमावली 2004 के तहत् कोई भी नन-बैंकिंग संस्था जिला पदाधिकारी को पूर्व सूचित किये बिना अपनी शाखा नहीं चला सकता है। इस पर सतत् निगरानी रखेंगे और कोई भी मामला प्रकाश में आने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदित करेंगे।	**प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दि0-27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जन-धन योजना का खाता खुलवाया जा रहा है इस प्रखं डमें कोई भी नन-बैंकिग संस्था अपनी शाखा नहीं खोला है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सिकटी प्रखंड अन्तर्गत उक्त योजनान्तर्गत अबतक एस0बी0आई0 भीरभैनी द्वारा 3930 व्यक्तियों का खाता खोला गया है, एवं शाखा प्रबंधक, सी0बी0आई0 सिकटी द्वारा 11400 व्यक्तियों का खाता खोला गया है।
15	**कल्याण :-** मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 10-11 में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये गये राशि के विरूद्ध प्रखण्डवार अद्यतन प्राप्त अभिश्रव का विवरणी निम्न प्रकार है :- (तालिका नीचे)	**मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387 दि0-23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में व्यय की गई राशि का अभिश्रव भेज दिया गया है। शेष मो0 3,500 (पैंतीस सौ) का अभिश्रव भेजने की कार्रवाई की जा रही है। **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दि0-27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजनान्तर्गत शेष अभिश्रव भेजने हेतु कार्यालय का ज्ञापांक 323 दिनांक 23.02.2015 द्वारा प्रखंड नाजीर मो0 निजामउद्दीन को निदेश दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिश्रव सहित संलग्न कर जिला कल्याण प्रशाखा, अररिया को भेजा गया है।

प्रखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में उपावंटित राशि		प्राप्त अभिश्रव		2010-11 में उपावंटित राशि	प्राप्त अभिश्रव
	पोशाक मद	कार्यालय व्यय	पोशाक मद	कार्यालय व्यय	पोशाक मद	पोशाक मद
01	02	03	04	05	06	07
अररिया	1535500.00	36000.00	1535500.00	20887.00	1056500.00	1056500.00
फारबिसगंज	3184500.00	38400.00	3154500.00	00	3372500.00	2668000.00
भरगामा	1688500.00	24000.00	1688000.00	24000.00	2427000.00	2092000.00
रानीगंज	4059000.00	38400.00	2825000.00	7730.00	3730500.00	3258500.00
नरपतगंज	924000.00	34800.00	549000.00	00	1855500.00	1461500.00
जोकिहाट	268500.00	32400.00	267000.00	00	409000.00	380000.00
कुर्साकाँटा	853000.00	15600.00	853000.00	15600.00	713000.00	709500.00
सिकटी	1406500.00	16800.00	1406500.00	16800.00	777000.00	764000.00
पलासी	1584500.00	25200.00	1508500.00	00	659000.00	659000.00

समीक्षा के कम में पाया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज, जोकिहाट, पलासी एवं नरपतगंज द्वारा कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध आबंटन के विरूद्ध अबतक कोई भी अभिश्रव नहीं भेजा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपलब्ध करायी गई आबंटन का व्यय किया गया है तो व्यय की गई राशि का अभिश्रव समर्पित करें अन्यथा राशि बचा हुआ है तो उसे लौटावे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रत्येक प्रखण्ड में चार-चार, कुल-36 सामुदायिक भवन निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध 09

<table>
<tr>
<td></td>
<td>स्थानों में सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया गया है, शेष 27 स्थानों का अबतक जमीन नही मिला है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बार-बार बैठ्कों में महादलित टोलों में सामुदायिक भवन हेतु जमीन खोजकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। पुनः शीघ्र जमीन खोजकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>आर0टी0पी0एस0 :- आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत समय सीमा से बाहर अररिया प्रखण्ड में 1132, जोकीहाट प्रखण्ड में 120, पलासी प्रखण्ड में 3001, सिकटी प्रखण्ड में 623, कुर्साकाँटा प्रखण्ड में 33, रानीगंज प्रखण्ड में 1974, फारबिसगंज प्रखण्ड में 952, नरपतगंज प्रखण्ड में 1082 एवं भरगामा प्रखण्ड में 463 आवेदन लंबित है।
प्राप्त आवेदन पत्रों में पेंशन योजना के- 4726, कन्या विवाह योजना के -2779 एवं पारिवारिक लाभ योजना के 768 आवेदन-पत्र, जिले में कुल- 8872 आवेदन समय सीमा के भीतर निष्पादन नहीं होने के कारण लंबित है। समीक्षा के कम मे पाया गया कि सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा कन्या विवाह योजना का आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसपर विशेष ध्यान दे और प्राप्त आवेदन पत्रों को समय सीमा के भीतर स्वीकृत/अस्वीकृत करते हुए निष्पादित करते हुए इन्ट्री भी कराना सुनिश्चित करेंगे।
अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज नियमित रूप से पर्यवेक्षण कर समय सीमा के भीतर आवेदन पत्रों को निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।</td>
<td>मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आर0टी0पी0एस0 योजनान्तर्गत पेंशन योजना एवं कन्या विवाह योजना के लेखित अभिलेखों का निष्पादन हेतु प्रखंड स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई की जा रही है।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत सभी प्राप्त आवेदन पत्र का समय सीमा के अंदर कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>जन शिकायत :- प्रखण्डवार जन शिकायत से संबंधित अद्यतन लंबित आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-
<table>
<tr><th>कमांक</th><th>प्रखण्ड का नाम</th><th>कुल लंबित आवेदन</th><th>जिला जनता दरबार/पारगमन</th><th>आयुक्त महोदय के कार्यालय</th><th>विश्वास यात्रा</th><th>मुख्यमंत्री सचिवालय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अररिया</td><td>121</td><td>77</td><td>13</td><td>0</td><td>31</td></tr>
<tr><td>2</td><td>फारबिसगंज</td><td>105</td><td>58</td><td>13</td><td>0</td><td>34</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भरगामा</td><td>56</td><td>26</td><td>7</td><td>5</td><td>18</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रानीगंज</td><td>69</td><td>59</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>नरपतगंज</td><td>54</td><td>20</td><td>3</td><td>0</td><td>31</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जोकिहाट</td><td>80</td><td>53</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>कुर्साकाँटा</td><td>23</td><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सिकटी</td><td>84</td><td>63</td><td>6</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पलासी</td><td>33</td><td>24</td><td>3</td><td>0</td><td>6</td></tr>
</table>
समीक्षा के कम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभिन्न स्तर के लंबित जन शिकायत</td>
<td>मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज ने अपने पत्रांक 241 दिनांक - 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जन-शिकायत से संबंधित जाँच प्रतिवेदन हेतु पंचायत सचिवों को प्रतिवेदन देने हेतु कार्रवाई की गई है।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जनशिकायत से संबंधित अद्यतन लंबित आवेदन पत्र कुल 59 है। उक्त का जाँच हेतु पंचायत सचिव एवं ग्रामीण आवास सहायक को दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त श्रीमान् को भेज दिया जायेगा।</td>
</tr>
</table>

	आवेदन पत्रों को निष्पादित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजे। सिर्फ भरगामा प्रखण्ड में विश्वास यात्रा से संबंधित 5 परिवाद लंबित है, जिसे विशेष अभिरूचि लेकर निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।	
18	**पंचायत सचिवों का प्रभार :-** पंचायत सचिवों के प्रभार की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा द्वारा बताया गया कि सिर्फ ग्राम पंचायत सौरगॉव के तत्कालीन पंचायत सचिव कारागार में बन्द रहने के कारण प्रभार नहीं दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बार-बार निदेश दिया गया है कि पंचायत सचिवों के साप्ताहिक बैठक में पंचायत सचिवों के प्रभार का आदान-प्रदान की समीक्षा करेंगे और यदि अभी तक किसी पंचायत का प्रभार आदान-प्रदान नहीं हुआ है तो अनुमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क कर इनभेन्ट्री बनाकर प्रभार दिलाते हुए सचिव के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में आरोप पत्र गठित कर भेजेंगे। इसके साथ-साथ गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया को प्रभार नहीं देनेवाले पंचायत सचिवों को प्रभार प्रस्तुत करने और इसके बाद भी प्रभार नहीं देने पर संबंधित पंचायत सचिव के निलंबित का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। पुनः जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया को प्रभार नही देनेवाले पंचायत सचिवों को प्रभार सौंपने हेतु नोटिस निर्गत करने और इसके बाद भी प्रभार नहीं देने पर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सभी पंचायत का प्रभार आदान- प्रदान पंचायत सचिव द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।
19	**निरीक्षण :-** लगातार बैठकों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम 10-10 प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों एवं प्रत्येक 15 दिन कम-से-कम एकबार कस्तुरबा गॉधी आवासीय विद्यालयों का भी निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, फारबिसगंज, लालजी उच्च विद्यालय, रानीगंज तथा कलानन्द उच्च विद्यालय, पलासी स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास का भी निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया था। परन्तु किसी भी प्रखण्ड से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा पुनः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उक्त निदेश के आलोक में निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ भेजने का निदेश दिया गया।	**मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दि0- 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत निरीक्षण हेतु कार्यक्रम बनाया जा रहा है, तदनुसार पंचायतों का निरीक्षण किया जायेगा। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पंचायत का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण कर अनुपालन प्रतिवेदन श्रीमान् को भेज दिया जायेगा।
20	**पायका (पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान) :-** पायक अन्तर्गत फारबिसगंज एवं जोकिहाट को उपलब्ध करायी गई राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त है,जो निम्नप्रकार हैः-	राशि प्राप्त है।

प्रखण्ड का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
फारबिसगंज	234000.00	9741.00

	जोकिहाट | 108500.00 | 108500.00 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज एवं जोकिहाट को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराई गई राशि व्यय हो चुका है तो उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजे अन्यथा राशि लौटावे।	
21	**प्रोत्साहन भत्ता :–** प्रोत्साहन भत्ता मद में प्रखण्डों को उपलब्ध करायी गई राशि के विरूद्ध अबतक नरपतगंज एवं भरगामा प्रखण्ड को छोड़कर शेष प्रखण्डों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है। नरपतगंज में मो0–16,800.00 एवं भरगामा में 9,600.00 रू0 उपलब्ध कराया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज एवं भरगामा को उपलब्ध कराई गई राशि व्यय हो चुका है तो उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने और राशि बचा हुआ है तो उसे वापस करने का निदेश दिया गया।	**मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दिनांक–27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रोत्साहन भत्ता मद में प्राप्ति राशि मो0 16800.00 रूपया का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने हेतु प्रखंड नाजीर मो0 निमाजमुद्दीन का ज्ञापांक 324 दिनांक 23.02.2015 द्वारा निदेश दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक– 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रोत्साहन भत्ता मद की राशि मो0 9600.00 रू0 किस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया गया है। स्पष्ट नही हो पा रहा है।
22	**पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षाः–** **(1) ग्राम कचहरी द्वारा वादों का निष्पादनः–** सभी प्रखण्डों से ग्राम कचहरियों द्वारा प्रत्येक प्रकार के वादों की कुल संख्या तथा निष्पादित वादों का प्रतिवेदन मांगा गया था। परन्तु सिकटी, कुर्साकाँटा, रानीगंज एवं भरगामा को छोड़कर शेष प्रखण्डों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर याचित प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया । इसके साथ–साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को ग्राम कचहरी कार्यालयों का पता भेजने का निदेश दिया गया। **(2) उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–**ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को उपस्कर हेतु द्वारा उपाबंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जोकिहाट, सिकटी एवं भरगामा को छोड़कर शेष प्रखण्डों से अप्राप्त है। इसके साथ–साथ ग्राम कचहरी भवन किराया, न्याय मित्र/कचहरी सचिव काम का मानदेय भुगतान हेतु उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त है, जिसे एक सप्ताह के अंदर भेजने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। **(3) ग्राम पंचायतों का निरीक्षण :–** जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि विभागीय निदा के आलोक में ग्राम पंचायतों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायती राज विभाग के निदेश के आलोक में ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। **(4) पंचायती राज विभाग से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र :–** लंबित डी0सी0 विपत्रों की सूची सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए डी0सी0 विपत्र भेजने का निदेश दिया गया था। परन्तु प्रखण्डों से डी0सी0 विपत्र का समायोजन प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिसे शीघ्र भेजने का निदेश प्रखण्ड पदाधिकारियों को	**मात्र कुर्साकाँटा, नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्साकाँटा** ने अपने पत्रांक 387 दि0 23.02.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :– (1) उपयोगिता प्रमाण पत्र – संबंधित कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजी गई है। वर्त्तमान में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है। (2) ग्राम पंचायतों का निरीक्षण – ग्राम पंचायत लिलोखर का निरीक्षण किया जाना है। (3) पंचायती राज विभाग से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र– डी0सी0 विपत्र भेजने की कार्रवाई की जा रही है। (4) ग्राम कचहरी सचिव का संविदा की राशि का माँग पत्रः– इस कार्यालय का पत्रांक 106 दिनांक 14.01.2015 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया से माँग की गई है। **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** अपने पत्रांक 241 दि0 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :– (1) ग्राम कचहरी द्वारा वादों का निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन भेजने हेतु कार्यवाह सहायक श्री महेश लाल दास को ज्ञापांक 322 दिनांक 23.02.2015 द्वारा निदेश दिया गया। (2) ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को उपस्कर हेतु चेक द्वारा उपवांटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु प्रंखड नाजीर मो0 निजामउद्दीन को ज्ञापांक 323 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा दिया गया। (3) ग्राम कचहरी सचिव का संविदा की राशि का माँग पर इस कार्यालय के पत्रांक 311 दिनांक 21.02.2015 के द्वारा कर दिया गया है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक– 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि

	दिया गया। **(5) लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 4476 का उत्तर सामग्री :-** प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अररिया, कुर्साकाँटा, सिकटी, रानीगंज एवं नरपतगंज को छोड़कर शेष प्रखण्डों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को तुरंत उत्तर सामग्री भेजने का निदेश दिया गया। **(6) ग्राम कचहरी सचिव का संविदा की राशि का माँग पत्र :-** सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से ग्राम कचहरी सचिव का संविदा की राशि का माँग पत्र भेजने का निदेश दिया गया, जो अबतक अप्राप्त है, जिसे शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।	(1) सिकटी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम कचहरी द्वारा प्रत्येक प्रकार के वादों की कुल संख्या एवं निष्पादित वादों की संख्या का याचित प्रतिवेदनल जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया को भेज दिया गया है। (2) ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को उपस्कर हेतु चेक द्वारा उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। (3) डी0सी0 विपत्र की कुल 04 (चार) लंबित है। डी0सी0 विपत्र तैयार किया जा रहा है। डी0सी0 विपत्र तैयार कर अविलंब अनुपालन कर भेज दिया जायेगा।
23	**इन्दिरा आवास योजना-समीक्षा** के कम में आवास सॉफ्ट में इन्ट्री की प्रगति काफी असंतोषजनक पाया गया, जबकि विगत लगभग एक माह से बार-बार आवास सॉफ्ट में इन्ट्री हेतु निदेश दिया जा रहा है। परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा इसमें कोई अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है, जिसमें अररिया प्रखण्ड की प्रगति सबसे खराब है। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त भुगतान तथा निरीक्षण प्रतिवेदन का इन्ट्री शुन्य है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अररिया को अंतिम रूप से एक सप्ताह में इन्दिरा आवास के प्रथम किस्त भुगतान का शतप्रतिशत, द्वितीय किस्त भुगतान पाने योग्य लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान करते हुए शतप्रतिशत इन्ट्री करायेंगे और निरीक्षण का भी आवास सॉफ्ट में इन्ट्री करायेंगे अन्यथा कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सिकटी प्रखंड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त लक्ष्य 1442 एवं 379 के विरूद्ध कुल लक्ष्य 1821 में से 1721 लाभुकों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है। अवशेष लक्ष्य 100 जो अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के हैं। बी0पी0एल0 का अनुमोदन प्राप्त होने पर तुरन्त लाभ दे दिया जाएगा एवं इंदिरा आवास का द्वितीय किस्त भुगतान की गई राशि का एम0आई0एस0 में विधिवत् इन्ट्री किया जा रहा है।
24	**निर्वाचन :-** सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निवाची पदाधिकारी, पंचायत को निदेश दिया गया कि पंचायत उप निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई होने पर सीधे उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया से सम्पर्क करेंगे।	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि लोकसभा चुनाव 2014 के अवसर पर प्रखंडों को कन्टेंजेंसी तथा यात्रा भत्ता मद में उपलब्ध कराये गये राशि का अभिश्रव भेजा जा रहा है।
25	**सहकारिता :-** बैठक में बताया गया कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा दिनांक 20.03.2015 से पैक्स उप निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सिकटी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है एवं पैक्स निर्वाचन 2014-15 में मात्र 03 (तीन) पैक्स आमगाछी, कौआकोह एवं दहगामा सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 27.01.2015 को कर लिया गया है।
26	**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-** सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक इस मद में उपलब्ध कराये गये आबंटन के विरूद्ध प्राप्त उपयोगिता की स्थिति निम्न प्रकार है :- (क्रमांक | प्रखण्ड का नाम | वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक उपलब्ध करायी | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र)	**मात्र नरपतगंज, सिकटी प्रखंडों से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दिनांक- 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2002-08 से 2014-15 तक प्राप्त आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु ज्ञापांक 332 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा प्रखंड नाजीर को निदेश दिया गया है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>गई राशि</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>फारबिसगंज</td><td>7650100.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>रानीगंज</td><td>9720650.00</td><td>7445000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अररिया</td><td>9524100.00</td><td>2982600.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नरपतगंज</td><td>10481300.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जोकिहाट</td><td>10201520.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पलासी</td><td>5368500.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>भरगामा</td><td>6795950.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सिकटी</td><td>5093350.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>9</td><td>कुर्साकाँटा</td><td>6890750.00</td><td>6495000.00</td></tr>
</table>
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मद में उपलब्ध कराये गये आबंटन का व्यय हो गया है तो उसका वर्षवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र–42 'ए' में भेजे और यदि राशि की आवश्यकता है तो स्वीकृत लाभुकों की सूची के साथ आबंटन अधियाचना भेजे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भरगामा द्वारा 60.00 लाख, नरपतगंज 50.00 लाख, सिकटी 35.00 लाख, कुर्साकाँटा 21.00 लाख, जोकीहाट 7.50 लाख तथा रानीगंज द्वारा 100.00 लाख रू0 की आवश्यकता बताया गया।
</td>
<td>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी ने अपने ज्ञापांक– 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में प्राप्त आवंटन 32,55,000.00 रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 137 दिनांक 23.01.2015 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया को भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वितरण की कार्यवाही की जा रही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>पंचायत सरकार भवन का निर्माण :– पूर्व बैठक में अररिया प्रखण्डान्तर्गत रामपुर मोहनपुर एवं चनद्रदई, रानीगंज प्रखण्ड के परमाननदपुर तथा जोकीहाट प्रखण्ड के सिमरिया में पंचायत सरकार भवन निर्माण का नया प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया था। इसके साथ–साथ समीक्षा के कम में नरपतगंज प्रखण्डान्तर्गत मधुरा उत्तर पंचायत में चयनित भूमि अतिक्रमरण होने की बात बताई गई थी। अनुमण्डल पदाधिकारी , फारबिसगंज एवं अंचलाधिकारी, नरपतगंज को अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया था। इसके साथ–सथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के कम में अपने प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का आवष्यक रूप से निरीक्षण प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।</td>
<td>अनुपालन अप्राप्त है।</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :–अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज को पूर्व में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की राशि उपलब्ध कराया गया है। पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि जिला स्तर पर शिविर आयोजित करते हुए राशि का वितरण कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजेंगे, जिसका प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज को निदेश दिया गया कि उपलब्ध करायी गई राशि</td>
<td>अनुपालन अप्राप्त है।</td>
</tr>
</table>

	का वितरण कर दिया गया है तो उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे और यदि राशि की आवश्यकता है तो उसका अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।	
29	**बी0आर0जी0एफ0, 13वीं वित्त एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग :-** समीक्षा के कम में पाया गया कि ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी राशि उपलब्ध है और इसके साथ-साथ ली गई योजना के विरूद्ध पूर्ण योजनाओं की संख्या काफी कम है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जो योजना चल रहा है, उसे या तो पूर्ण करावे या राशि वापस जमा करावे। अन्यथा राशि वसूली हेतु अभिकर्त्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। इसके साथ-साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की सभी योजनाएँ जिसमें (भवन निर्माण योजनाओं एवं अन्य पक्की योजनाओं को छोड़कर) गली, नाला, ग्रामीण सड़क, चिरान एवं बाँध मरम्मति इत्यादि की योजनाओं को ''As is where is'' के आधार पर अंतिम नापी एवं अंतिम जाँच कराते हुए योजना को बन्द कर संबंधित योजना अभिलेखों की कार्यवाही पूर्ण करें।	**मात्र नरपतगंज प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज** ने अपने पत्रांक 241 दिनांक- 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 13 वीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त जमीन पर आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है तथा बी0आर0जी0एफ0 चतुर्थ वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग का मासिक प्रतिवेदन समय पर भेजा जा रहा है।
30	**अन्याय :-** 1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजनावार एक बैंक खाता संधारित करेंगे और In Oprating खातों में अवशेष राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए खाता को बंद कर दें। 2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय (एम0जे0सी0/ ए0पी0ए0 /सी0 डब्लू0जे0सी0) लोकायुक्त, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित जो भी पत्र भेजे जाते है, उसे प्राथमिकता के कम में बिना विलंब के निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। 3. लागातार बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया तथा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज को निदेशित किया जा रहा है कि वाहनों का नियमित रूप से ओभर लोडिंग एवं अनियमितताओं की चेकिंग एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। पुनः उक्त निदेश का अनुपालन कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।	**मात्र सिकटी प्रखंड से प्राप्त।** **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी** ने अपने ज्ञापांक- 387, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पंचायत चुनाव 2011 में जेनरेटर से विद्युत उपलब्ध करानेवाले विजय कुमार वर्मा के विपत्र भुगतान हेतु निदेश दिया गया है। श्री वर्मा को पंचायत चुनाव 2001 के अवसर विपत्र का भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 85 दिनांक 13.01.2015 के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया से दिशा निर्देश हेतु पत्र दिया गया है।

जिला पदाधिकारी,
अररिया।